संख्या-26/2015/993/18-4-2015-15(विविध)/15

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0,
लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 29, जुलाई,2015

विषय-उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ईस्ट/अधि0आयु0/732, दिनांक 30-6-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1601/44-1-2011-90/2008, दिनांक 20-12-2011 के क्रम में उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 के नियमित/पूर्ण कालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने की निम्नांकित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 के कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढाकर 60 वर्ष किये जाने के फलस्वरूप यदि कोई धनराशि अन्तर्निहित होती है तो इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा उक्त निगम को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

3- उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0 द्वारा अपने स्रोतों से वेतन आदि पर होने वाले व्यय को स्वयं वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-993/18-4-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 लखनऊ को साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
4- संयुक्त आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन बयूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।